

सेवा में

निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

1. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार
2. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत
4. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक

यादी क्रमांक:- 4/49-87 तै. शि-15

दिनांक, कण्डीगढ़: 27-5-88

विषय: 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना

== == ==

उपरोक्त विषय पर आपके पृष्ठ क्रमांक 4167-मूल/जी-2-87/11820 दिनांक 11-11-87, यादी क्रमांक जी-3/87-4393 दिनांक 30-9-87, यादी क्रमांक सा-2-88/3257 दिनांक 1-2-88, यादी क्रमांक सा-2-88/3627 दिनांक 16-3-88 तथा यादी क्रमांक सा-4-88/700 दिनांक 29-3-88 के संदर्भ में।

निम्नलिखित अराजकीय मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों को सूचित है कि 1988-89 से 10 जमा 2 की शिक्षा प्रणाली लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. शान्ती निकेतन हाई स्कूल एम.सी. कालोनी माडल टाउन, हिसार
2. सरस्वती विद्या मन्दिर, जगाधारी अम्बाला
3. सी. आर. जैड हाई स्कूल सोनीपत
4. जनता हाई स्कूल गन्नौर सोनीपत
5. डी.ए.वी. हाई स्कूल हसनगढ़ रोहतक

i) यह स्वीकृति निम्न अंकित पर प्रदान की जाती है:-

सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानक राज्य सरकार/विभाग से जितने प्रकार के अनुदान/वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेंगे और इस बारे में नान अनुसार छात्रों को सभी सुविधाएँ अपने स्तर पर प्रदान करेंगे।

ii) जहाँ दो कक्षाओं के लिए केवल उन्हीं शिक्षकों को लगाया जाये जिन्होंने सम्बन्धित शिक्षकों में एम.एड/एम.एस.सी/एम.काम की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों।

iii) सभी छात्रों के लिए करनीचर इत्यादी का उचित प्रत्यक्ष सुनिश्चित किया जाये।

- 3.17 जित विद्यार्थियों को विज्ञान शिक्षा पढ़ाये जाये वहां पर सुविधाएं दी जायें।
 3.18 आसुक्त प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई जायें।
 3.19 भवन तथा अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये।
 3.20 जमा दो स्तर पर केवल वे ही विषय अध्यापन शुरू किये जायें जिनकी टीचिंग ट्रेनिंग के लिए आवश्यक साधन सुविधाएं विद्यालय में उपलब्ध हो।

सहायक निदेशक, लैण्डरी विभाग,
 कृते: निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा।

पृ० क्रमांक:-स३७-दिनांक:- 27-5-88

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती है।-

1. मुख्य अधिकारी, सभी सम्बन्धित विद्यालय
2. सचिव, विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
3. निदेशक, एस.टी.ई.-आर.टी. हरियाणा, गुडगावां
4. अधीक्षक विद्यालयिका तथा आर्कडा शाखा। स्थानीय।

सहायक निदेशक, लैण्डरी विभाग,
 कृते: निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा।

"अहतावत" 27/5

Handwritten signature and date 27/5/88

शिक्षा विभाग, हरियाणा बल्लभ
पत्रिका क्र. 8198-कि. 232-14 कि. (5)

दिनांक 19/10/78

सबसे अधिक शिक्षा अधिकारी (बल्लभ) को पत्रों के बखाने का
तक 1-4-78 से साराई मानक प्रमाण हो जाती है

को धर्मोत्तर

विदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा

पत्रिका क्र. 8198-14 कि. (5)

दिनांक 23/10/78

सबसे एक प्रति विनिर्दिष्ट हो सुनाया एवं आवश्यक जानकारी हेतु भेजी
जाती है :-

1. जहाँ शिक्षा अधिकारी

2. जहाँ शिक्षा विभाग बल्लभ शिक्षा बल्लभ हरियाणा बल्लभ

3. शिक्षा विभाग बल्लभ

4. शिक्षा विभाग बल्लभ

5. शिक्षा विभाग बल्लभ

6. शिक्षा विभाग बल्लभ शिक्षा अधिकारी

7. शिक्षा विभाग बल्लभ शिक्षा अधिकारी

8. शिक्षा विभाग बल्लभ शिक्षा अधिकारी, नई दिल्ली

को

को शिक्षा विभाग

को शिक्षा विभाग बल्लभ शिक्षा अधिकारी

को शिक्षा विभाग बल्लभ शिक्षा अधिकारी

23/10/78

Attested
S. S. S. S. S.
Headmaster

Headmaster,
Saraswati Vidya Mandir,
Jagadhri (Amhola)